

मानवाधिकार विषय पर एक दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सौजन्य से राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 17.01.2017 को मानवाधिकार विषय पर एक दिन का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में सम्पूर्ण राजस्थान से पुलिस निरीक्षक स्तर के कुल 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री एम. के. देवराजन, पूर्व डीजीपी एवं पूर्व सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हुए इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों एवं वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की स्थिति का एक तुलनात्मक परिदृश्य प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों तथा उनकी पुलिस से अपेक्षाओं के संबंध में भी अपने विचार रखे।



दूसरे सत्र में श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, सहायक निदेशक सी.डी.पी.एस.एम. आर.पी.ए. ने महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों एवं इनके संरक्षण के संबंध में पुलिस की भूमिका के संबंध में जानकारी दी। इस क्रम में उन्होंने महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कानूनों यथा पोक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम महिलाओं की घरेलू हिंसा से संबंधित कानून, पीसीपीएनडीटी एक्ट आदि के कानूनी प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

श्री आर. के. सक्सेना रिटायर्ड आईजी (जेल सेवा) ने जेल मेन्युअल की जानकारी देते हुए बन्दियों के अधिकारों तथा उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी तथा कस्टडी के दौरान एक पुलिस अधिकारी के दायित्वों तथा इनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

कार्यक्रम के अन्तिम सत्र में श्री एम.एम. अत्रे, रिटायर्ड आईजीपी ने नवीनतम बालश्रम कानून, अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के नवीनतम प्रावधान बताते हुए प्रतिभागियों की इनसे संबंधित जानकारी को अधतन किया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कानूनी दायारे में रह कर तदनु रूप कार्य करने का आह्वान किया।



कोर्स प्रभारी श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, सहायक निदेशक सी.डी.पी.एस.एम. एवं सहायक कोर्स प्रभारी श्री धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक आर.पी.ए. ने सभी वक्ताओं का स्वागत किया तथा उनके सत्र के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।